राजस्थान सरकार
वित्त (आर्थिक मामलात) विभाग

क्रमांकः एफ.5(थ–75)कोष/IFMS/पे–मैनेजर/17513-712 दिनांक 23/11/2017

समस्त
विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष/
आहरण वितरण अधिकारी।

विषयः– सातवें वेतनमान के अनुसार पे–मैनेजर सिस्टम पर की जाने वाली कार्यवाही के संबंध में।

महोदय,

वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ.15(1)एफडी/रूल्स/2017 दिनांक 30.10.2017 के अनुसार दिनांक 01.10.2017 से राज्य में सातवें वेतनमान लागू किया गया है। उक्त आदेशों की अनुपालना में आई.एफ.एम.एस. पे–मैनेजर पर सातवें वेतनमान के अनुसार अनुमत कार्मिकों के ऑनलाइन संवेतन बिल तैयार करने/जनरेट करने की प्रक्रिया में निम्नांकित बिन्दुओं के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित किया जाना अपेक्षित है :–

1. पे–मैनेजर पर उपलब्ध कामिकों के मास्टर डेटा में दर्ज किये गये डेटा की शुद्वता की जाँच सेवापुस्तिका के आधार पर कार्यालयाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी द्वारा सुनिश्चित की जावें।

2. सातवें वेतनमान में निर्धारित पे–मैट्रिक्स के आधार पर चैक लिस्ट संवेतन बिल बनाने की प्रक्रिया में आई.एफ.एम.एस. पे–मैनेजर पर जाँच हेतु उपलब्ध होगी। जिसकी वित्त विभाग के आदेशानुसार संबंधित आहरण वितरण अधिकारी के स्तर पर वेतन नियतन आदेशों से जाँच की जावेगी तदोंपरान्त चैक लिस्ट पर दिए गए सबमिट बटन पर क्लिक करने के पश्चात कार्मिकों के मास्टर डाटा में देय मूल वेतन एवं अन्य भत्ते स्वतः सातवें वेतनमान के अनुसार परिवर्तित हो जावेगें जिसमें अंकित डेटा की जाँच वेतन नियतन आदेशों से पूर्ण रूप से किए जाने का दायित्व संबंधित आहरण वितरण अधिकारी का होगा।

अतः उक्त बिन्दुओं की पालना सुनिश्चित करते हुए आई.एफ.एम.एस. पे–मैनेजर पर संवेतन बिल बनाने एवं प्रेषण करने की प्रक्रिया में पूर्ण शुद्धता एवं नियमों की पालना सुनिश्चित की जाये।

भवदीय

(आशुतोष वाजपेयी)
संयुक्त शासन सचिव

क्रमांकः एफ.5(थ–75)कोष/IFMS/पे–मैनेजर/17513–712 दिनांक 23/11/2017

प्रतिलिपिः निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. अतिरिक्त निदेशक (आई.टी.), वित्त विभाग शासन सचिवालय, जयपुर को वित्त विभाग की साईट पर अपलोड करवाने हेतु।
2. कोषाधिकारी, समस्त
3. तकनीकी निदेशक, एन.आई.सी. वित्त भवन, जयपुर

संयुक्त शासन सचिव